न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 55/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/191**
दायर दिनांक :– 27.07.2021 **निर्णय दिनांक :– 20.12.2024**

1. मोयबदीन पुत्र बागेखां जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. लालदीन पुत्र बागेखा फौत के कायम मुकाम

2/1 ताज मोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/2 न्याज मोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/3 साले मोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/4 मोहम्मद न्याज पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/5 सतार खां पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/6 सदीक खां पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2/7 सायब खातू पत्नी लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. दीनेखां पुत्र जमालखां जाति मुसलमान निवासी ननेउ तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. कायमदीन पुत्र जमालखां जाति मुसलमान निवासी ननेउ तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. हलमो पत्नी मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुबकतुला पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. अजीजो पत्नी बिलाल जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. सखीना पत्नी यार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. दिनेश कुमार पुत्र जुगलकिशोर निवासी चांदपोल पुरोहितों की गली पोकरण जिला जैसलमेर
8. बशीर खां पुत्र युसुफ खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. जनत पत्नी अलाबक्श जाति मुसलमा निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का बहुल ही मजबूत आधारों पर पूर्व में पेश किया है उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा वाद पेश करने के बाद भी विवादित भूमि का आगे से आगे बेचान हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वज बागे खां पुत्र रायचन्द के नाम से ग्राम भड़ला के खेत खसरा नम्बर 67 कुल रकबा 154–00 बीघा आया हुआ है जो भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के नाम खसरा नम्बर 67 रकबा 54–00 बीघा, अप्रार्थी

20/12/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

संख्या 7 के नाम से खसरा नम्बर 67/1 रकबा 50—00 बीघा तथा खसरा नम्बर 67/2 रकबा 50—00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 8 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। बागे खां का उक्त खसरान् की भूमि पर अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त रहा जो आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थीगणों ने विवादित भूमि पर अपने हिस्से अनुसार रहवासी ढाणियां इत्यादि बना रखे है। जिस पर प्रतिवर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदार का उपयोग व उपभोग करते आ रहै है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 67 ग्राम भडला का प्रार्थीगणों के पूर्वज द्वारा कभी भी बेचान हस्तान्तरण नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया मामला तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का काब्जा काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में होने से मौके की यथास्थिति रखी जानी आवश्यक होने से प्रार्थीगणों द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का कितनी भूमि पर हक हिस्सा है इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर तय किया जाना है ऐसी स्थिति में रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पूर्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.10.2024 निरस्त की जाती है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)